जेठाराम बनाम केशराराम
2022/48
निर्णय दिनांकः–18.02.2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2022/48(35/2022) दर्ज तिथिः–23.03.2022

1. जेठाराम पुत्र बगताराम
   जाति मेघवाल निवासी अरणियाली,तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. केशराराम पुत्र पैलादराम
2. गेनाराम पुत्र पैलादराम
3. घमण्डाराम पुत्र पैलादराम
4. चेनाराम पुत्र पांचाराम
5. जगराम पुत्र पांचाराम
6. नुकलाराम पुत्र पांचाराम
7. नारणाराम पुत्र पांचाराम
8. मघाराम पुत्र पांचाराम
9. रेखाराम पुत्र पांचाराम
10. रिड़मलराम पुत्र तेजाराम
11. मिरगोदेवी पत्नी मूलाराम
    जाति मेघवाल निवासी अरणियाल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थीः–श्री हापूराम
अप्रार्थीगणः–श्री मदनलाल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–18.02.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 78/10.1171 है0 मौजा अरणियाली तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 78/1/5.8275 है0, 78/5/3.2375 है0,तथा विप्रार्थी संख्या 10 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 78/2/0.1619 है0एवं विप्रार्थी संख्या 11 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 16:59:14 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी आराजी खसरा संख्या 78/3/0.9227 है0,वाके ग्राम अरणियाली, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त आराजी का मूल खसरा एक ही 78 था।

2. इस प्रकार मूल खसरा संख्या 78 के मूल खातेदार के नाम से सेटलमेन्ट से दर्ज हुआ है। जिसमें से प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 11 से जरिये बेचान दस्तावेज व विभाजन से उपरोक्त नवसृजित खसरान की तरमीम मौके पर अंकित दिशाओं के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम मौके पर कब्जे के अनुसारसही नहींकी गई तथा लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा कास्त में भारी अन्तर है। मौजूद तरमीम खसरा संख्या 78 की करीबन 8—10 बीघा कम तरमीम कर दी गई तथा खसरा संख्या 78/2 की 8—10 बीघा तरमीम अधिक कर दी इससे प्रार्थी के कब्जे की खातेदारी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—'अ' के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—'अ' के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र को स्वीकार करने पर सहमति प्रदान करते हुए परिशिष्ट—अ के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर लिखित अनापत्ति पेश की। प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट—ब के आधार पर दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिशल की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना के मौका रिपोर्ट दिनांक 07.10.2023 के अनुसार खसरा संख्या 78/2 की तरमीम जमाबंदी में दर्ज रकबा 1 बीघा के स्थान पर 9.10 बीघा की पाई गई जो कि 8—10 बीघा अधिक दर्ज है। जिससे रेकर्ड में भिन्नता पाई गई। मौके पर प्रस्तावित विभाजन अनुसार कब्जा काश्त पाई गई है। संलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'ए' क अनुसार वर्तमान रेकर्ड में तरमीम दर्ज है जबकि परिशिष्ट 'बी' के अनुसार तरमीम शुद्व करना प्रस्तावित की गई है।

5. तहसीलदार धोरीमन्ना के मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मूल खसरा 78 में 54 बीघा की तरमीम की गई है जबकि जमाबंदी में रकबा 62—10 बीघा दर्ज है,जो कि 8—10 बीघा कम है। जबकि खसरा संख्या 78/2 की तरमीम जमाबंद में दर्ज 1 बीघा के स्थान पर 9—10 बीघा की हे जो कि 8—10 बीघा अधिक हैं। अतः तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मूल खसरा संख्या 78 में 8—10 बीघा की कम की गई तरमीम खसरा संख्या 78/2 में 8—10 बीघा तरमीम अधिक करने से राजस्व रेकर्ड में भिन्नता आई जिसे परिशिष्ट 'बी' अनुसार शुद्व करना प्रस्तावित किया गया है।

6. इस प्रकार मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट—अ एवं अप्रार्थीगण की सहमति तथा तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्र दिनांक 27.02.2024 के संलग्न मौका रिपोर्ट में परिशिष्ट 'बी' के अनुसार तरमीम शुद्व करना प्रस्तावित किये जाने पर तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:59:14 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये

जेठाराम बनाम केशराराम
2022 / 48
निर्णय दिनांकः—18.02.2025

जाते हैं कि तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.10.2023 के अनुसार प्रस्तावित परिशिष्ट 'बी' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.10.2023 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्नाको भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्त़ाक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(भागीरथराम, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:59:14 IST
Reason: SelfAttested